

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

1	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	नहीं।	
2	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत हैं। यदि नहीं तो उसका कारण दें।	सहमत है।	
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।	परिचय छिंदवाड़ा वनमंडल के दमुआ वन परिक्षेत्र के अंतर्गत रामपुर-चंदनिया-कोयलवाड़ी मार्ग के निर्माण हेतु 3.798 हे. वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई कमांक-2 छिंदवाड़ा को उपयोग पर देने हेतु प्रकरण पर वनमंडल अधिकारी के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर अनुशंसा की जाती है।	

तिथि : 16/2/2019
स्थान: छिंदवाड़ा

(के. के. गुरवानी)
मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वनसंरक्षक
दिनांक 15/2/19 छिंदवाड़ा वनवृत्त